13/2018

21.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. डंडाली में पेश हुई। वकील अपीलार्थी मय स्वयं अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदाता उत्तरदाता सं. 2 से 6 उपस्थित। अपीलांट की पहचान वकील अपीलांट श्री शंकरलाल शरण द्वारा की गई। उत्तरदाता की पहचान श्री हनुमानराम, सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली द्वारा की गई है। अपीलांटस एवं उत्तरदाता सं. 2 से 6 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया है। जो ~~राजीनामा~~ राजीनामा (अभिलेखागार) पढ़कर सुनाया गया, जिन्हें स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगूठे किये गये। अपीलार्थी के पक्ष में उत्तरदाता सं. 2 से 6 एवं सरपंच ग्राम पंचायत डंडाली के बयान कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। TDA संख्याओं की जांच रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी की अपील राजस्व लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत डंडाली द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 140 ~~[illegible]~~ भूमि को निरस्त कर, उक्त TDA [illegible] को संशोधित किया जाता है, विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

ह०

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अं.नि. भोगाराम
डूंगाराम
केसाराम
कानाराम
अं.नि. पन्नीदेवी
पाबुराम
रुघाराम
अं.नि. गवरी
[illegible]

हनुमानराम
(हनुमानराम)
सरपंच
ग्राम पंचायत डण्डाली
पं. स. सिणधरी (बाड़मेर)

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–13/2018

अपीलाण्टस	बनाम	उतरदातागण
1.पाबुराम पुत्र पुरखाराम		1.सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली
2.खुमाराम पुत्र पुरखाराम		2.खंगाराराम पुत्र गुमनाराम
3.श्रीमति गवरी पत्नि पुरखाराम जाति जाट निवासी ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		3.दुर्गाराम पुत्र गुमनाराम 4.केसाराम पुत्र गुमनाराम 5.कानाराम पुत्र गुमनाराम 6.पन्नी पत्नि गुमनाराम जाति जाट निवासी ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता –अपीलाण्ट संख्या 3 के पति पुरखाराम एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 सगे भाई है। एवं उतरदाता संख्या 6 अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की दादी–अपीलाण्ट संख्या 3 की सास एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 की माता है। जो मुतवफी गुमनाराम के वारिसान है। गुमनाराम की आवगी खातेदारी भूमि ग्राम ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 78 रकबा 49–11 बीधा भूमि आई हुई थी। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पिता–अपीलाण्ट संख्या 3 क पति पुरखाराम का देहांत गुमना से पूर्व हो गया था। गुमना वल्द लूम्बा के फोत होने पर वारिसान की हैसियत से भरे गये नामान्तकरण संख्या 140 में उतरदाता संख्या 2 से 5 के साथ अपीलाण्टस का नाम

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

हल्का पटवारी डण्डाली द्वारा दायर कर दिया गया था। उतरदाता संख्या 2 से 5 ने उतरदाता संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर झूठे इकरारनामा का हवाला देते हुए अपीलाण्टस के नाम हटाते हुए उतरदाता संख्या 2 से 5 के पक्ष में नामान्तकरण पारित करवाया गया। जबकि इस संबध में अपीलाण्टस को कोई पूर्व में ज्ञान नहीं था। अभी अपील लाने से पूर्व विवादित भूमि की नकलें लेने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किये जाने पर सर्वप्रथम पता चला कि विवादित भूमि में अपीलाण्टस का नाम ही दायर नहीं है। जो ज्ञान होने पर अधिवक्ता से सर्म्पक कर विवादित भूमि की नकले लेने पर अन्दर म्याद नामान्तकरण अपील पेश की गई है। अतःअपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते हुए विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 2 से 5 के साथ अपीलाण्टस का भी नाम दायर किया जावें।

2.अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। अपील के संबध में तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तलब की गई। विवादित भूमि के संबध में अपीलाण्टस एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। उतरदाता संख्या 01 एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के संयुक्त बयान कलमबद्व किये गये। और शामिल मिसल किये गये।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात,विवादित नामान्तकरण संख्या 140,बयानात एवं रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलंग्न नामान्तकरण संख्या 140 का अवलोकन पर पाया कि ग्राम ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 78 रकबा 49–11 बीधा भूमि गुमना वल्द लूम्बा कौम जाट सा.देह खातेदार आवणी खातेदारी में दर्ज थी। गुमना के फोत पर उसके वारिसान अपीलाण्टस एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के नाम नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में तत्कालीन हल्का पटवारी डण्डाली द्वारा नाम दायर किये गये। एवं नामान्तकरण संख्या 140 की पुश्त पर गुमना के वारिसान की सूची भी अंकित है। जिसमें गुमना के वारिसान में अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 3 के पति पुरखाराम एवं उतरदाता संख्या 2 से 4 एवं उतरदाता संख्या 5 के नाम का इन्द्राज है। इससे स्पष्ट साबित है। कि अपीलाण्टस पुरखाराम के वारिसान है और पुरखाराम का देहांत अपने पिता गुमना से पूर्व हो गया था। इसी कारण विवादित नामानतकरण में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

उतरदाता संख्या 2 से 5 के साथ हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्टस के नाम दायर किये गये। लेकिन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली द्वारा नामान्तकरण पारित करते समय इकरारनामा का हवाला देते हुए विवादित भूमि में अपीलाण्टस के नाम हटाते हुए नामान्तकरण उतरदाता संख्या 2 से 5 के पक्ष में पारित किया गया। और अपीलाण्टस को उसक हक हकूको से वंचित रखा गया। जबकि उतरदाता संख्या 01 वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली ने अपने बयानों में स्वीकार किया है,कि अपीलाण्टस का उतरदाता संख्या 2 से 5 के साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त आदिनांक तक चला आ रहा है। और अपीलाण्टस एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 को व्यक्तिगत रूप से जानता हुँ। उतरदाता संख्या 2 से 5 ने अपने संयुक्त बयानों में स्वीकार किया है,कि गुमनाराम के वारिसान में अपीलाण्टस एवं हम उतरदाता संख्या 2 से 5 है। विवादित भूमि में अपीलाण्टस का हमारे साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। एवं बयानों में यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित नामान्तकरण पारित करने के समय अपीलाण्टस संख्या 1 व 2 की उम्र कमंशः14 व 08 वर्ष के करीब थी। जो अपीलाण्टस नाबालिग थें। ततकालीन सरपंच द्वारा द्वेषभावना से प्रेरित होकर अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण से हटा दिये गये थे। जो अपीलाण्टस का हमारे साथ नाम दायर किये जावें। एवं विवादित भूमि के संबध में अपीलाण्टस एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 ने राजीनामा पेश किया गया है। जिसमें भी उतरदाता संख्या 2 से 5 ने स्वीकार किया गया है। कि अपीलाण्टस का हमारे साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। और रहवासी ढाणी,बाड़े एवं टांके आदि बने हुए है। हमारे साथ अपीलाण्टस का नामा दायर किया जाता है। तो हमें कोई आपर्ति नहीं है। तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी समग्र जांच रिर्पोट में अंकन किया है,कि अपीलाण्टस का उतरदाता संख्या 2 से 6 के साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलाण्टस उतरदाता संख्या 2 से 6 के साथ अपना नाम दायर करवानें के हकदार है। जहां तक म्याद के बिन्दु का प्रश्न है,कि अपीलाण्टस द्वारा नामान्तकरण की जानकारी होने के बाद अन्दर मयद अपील पेश की गई है। एवं शून्य नामान्तकरण के विरूद्व अपील पेश करने की कोई म्याद भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान की वंशवृक्षावली एवं मौके पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner

काश्त स्थिति की जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्टस के हक में पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत डण्डाली के नामान्तकरण स.140 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली के आदेश दिनांक शून्य को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्दशो के साथ तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि अपील में पक्षकारान की दर्शित वंशवृक्षावली एवं पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त स्थिति की जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार अपीलाण्टस के हक में पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21/5/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner